LATEST

NEWS

Election

Date : 3rd Jan. 2026

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:
CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

एसआइआर: दस्तावेज नहीं मिलने पर मतदाताओं को नोटिस

रायसिंहनगर. सहायक निर्वाचक अधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करते एसआइआर में वंचित मतदाता।

दस्तावेज पेश नहीं करने पर सूची से नाम हटने की चेतावनी

रायसिंहनगर @ पत्रिका. विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत जिन मतदाताओं का परिगणना प्रपत्र गत एसआइआर के किसी प्रमाण से मेल नहीं खा पाया है, उन्हें निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

संबंधित मतदाताओं को निर्वाचन कार्यालय के निर्धारित हियरिंग स्थल पर स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार यदि नोटिस की तामील होते ही आवश्यक दस्तावेज बीएलओ को सौंप दिए गए हैं और वे आधिकारिक ऐप या पोर्टल पर अपलोड भी हो चुके हैं, तब भी मतदाता को व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं ने गणना फॉर्म अधूरा भरा है अथवा 2003 की मतदाता सूची से उनकी मैपिंग नहीं हो सकी है, वे इस श्रेणी में शामिल हैं।

ये हैं विकल्प

ऐसे मतदाताओं के पास आधार कार्ड सहित कुल 11 विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें नोटिस की प्रति के साथ संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष जमा कराया जा सकता है। तहसीलदार हर्षिता मिढा ने बताया कि नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज मतदाता को स्वयं प्रमाणित करने होंगे। सत्यापन के बाद मतदाता का नाम 2025 की एसआइआर डाटाबेस में शामिल किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मतदाता नोटिस के बावजूद आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं।

दैनिक भास्कर

धौलपुर 03-01-2026

एसआईआर...2074 मतदाता को नोटिस, सत्यापन कार्य हुआ प्रारंभ

बाड़ी | मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण में मैपिंग से वंचित मतदाताओं को बीएलओ द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। उनके दस्तावेज सत्यापन का काम शहर में चार स्थानों पर चल रहा है। ब्लॉक शिक्षा विभाग में सीबीईओ के नेतृत्व में काउंटर लगाया गया है। नगर पालिका में ईओ के नेतृत्व में शहरी मतदाताओं की सुनवाई हो रही है। वही तहसील कार्यालय में तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा बाड़ी ग्रामीण ओर बसेड़ी के बाड़ी से जुड़े मतदाताओं की सुनवाई कर रहे है। पूरे विधानसभा में कुल 2074 मतदाता मैपिंग से वंचित रहे थेनगर पालिका ईओ अभिताभ मीणा ने बताया कि 3 दिन से दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है। जिसमें शहरी क्षेत्र में 664 मतदाताओं को नोटिस दिए थे। जिनमें से 260 मतदाताओं की दस्तावेज जमा किए जा चुके हैं। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि 3 दिन से बाड़ी सैपऊ क्षेत्र के करीब 300 मतदाताओं के दस्तावेज जमा किए गए हैं। वहीं बसेड़ी क्षेत्र के 100 से अधिक मतदाताओं के दस्तावेज जमा किए गए है।

एसआईआर के कार्य में द्वितीय फेज को लेकर तहसील कार्यालय में कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया है। जिसमें भगवान स्वरूप मीणा, मोहित सारस्वत, शिवदत्त शर्मा, कुलदीप कुमार, अरुण सिंह, संजीव बंसल सहयोग में जुटे है।